

दया याचिका

प्रलम्बिस के लयि:

राष्ट्रपति, दया याचिका, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 161, न्यायिक समीक्षा, उच्चतम न्यायालय (SC), क्षमादान शक्ति, मृत्युदंड, वधिआयोग, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 21, प्रतिलिंबन, वरिष/परहिर, दंडादेश का नलिंबन, लघुकरण, भारतीय न्यायपालिका

मेन्स के लयि:

दया याचिका जारी करना

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने एक पाकिस्तानी नागरिक की दया याचिका को अस्वीकार कर दी जसि वर्ष 2000 में लाल कलि पर हुए आतंकी हमले के लयि मृत्युदंड दिया गया था ।

दया याचिका क्या है?

परचिय:

- दया याचिका एक औपचारिक अनुरोध है, यह अनुरोध कसि ऐसे वयक्त जसि मृत्युदंड या कारावास की सज़ा दी गई हो, द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल से दया की मांग करते हुए किया जाता है, जैसा भी मामला हो ।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और भारत जैसे कई देशों में दया याचिका के वचिर का पालन किया जाता है ।
- सभी को जीवन का अधिकार प्राप्त है । इसे भारतीय संवधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में भी वर्णित किया गया है ।

नहिती धारणा: भारत में क्षमादान शक्तियों के पीछे धारणा इस मान्यता में नहिती है कि कोई भी न्यायिक प्रणाली अचूक नहीं है और संभावति न्यायिक त्रुटियों को सुधार हेतु एक तंत्र की आवश्यकता है ।

- न्यायिक त्रुटियों का सुधार: यह सुरक्षा उपाय न्याय की संभावति त्रुटियों के वरिद्ध सुधारात्मक उपाय के रूप में कार्य करता है ।
 - उदाहरण के लयि, वर्ष 2012 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के 14 न्यायाधीशों ने भारत के राष्ट्रपति को अलग-अलग पत्रों में वर्ष 1990 के दशक के उन मामलों पर प्रकाश डाला, जनिमें न्यायालयों ने 15 वयक्तियों को अनुचित तरीके से मृत्युदंड दिया था, हालाँकि उनमें से दो वयक्तियों को बाद में मृत्युदंड दिया गया था ।
- सार्वजनिक विश्वास बनाए रखना: क्षमादान शक्ति का मुख्य उद्देश्य आपराधिक न्याय व्यवस्था में सामान्य जन के विश्वास को बनाए रखना है ।

संवैधानिक ढाँचा:

- भारत में संवैधानिक ढाँचे के अनुसार, दया याचिका के लयि राष्ट्रपति से अनुरोध करना अंतमि संवैधानिक उपाय है । जब एक दोषी को वधिक न्यायालय द्वारा सज़ा सुनाई जाती है तो दोषी भारतीय संवधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को दया याचिका प्रस्तुत कर सकता है ।
- इसी प्रकार भारतीय संवधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यों के राज्यपालों को क्षमादान शक्ति प्रदान की गई है ।

अनुच्छेद 72	अनुच्छेद 161
- राष्ट्रपति के पास कसि भी अपराध के लयि दोषी ठहराए गए कसि भी वयक्त की सज़ा को क्षमा करने, उसे रोकने, वरिष देने या कम करने या सज़ा को नलिंबति करने, परहिर करने की शक्ति होगी । - उन सभी मामलों में जहाँ सज़ा कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई हो; - उन सभी मामलों में जहाँ सज़ा या कसि ऐसे मामले से संबंधति कसि	- इसके तहत कसि राज्य के राज्यपाल के पास कसि मामले से संबंधति कसि भी कानून के खिलाफ कसि भी अपराध के लयि दोषी ठहराए गए कसि भी वयक्त की सज़ा को क्षमा, राहत देने, वरिष या छूट देने या नलिंबति करने, परहिर करने या लघुकरण शक्ति होगी जसिसे राज्य की शक्ति का वसितार होता है । - वर्ष 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कसि राज्य का

कानून के खिलाफ अपराध के लिये है, जसि पर संघ की कार्यकारी शक्ति का वसितार होता है;

- सभी मामलों में जहाँ मृत्युदंड दिया गया है।

राज्यपाल मृत्युदंड की सज़ा वाले कैदियों को क्षमा कर सकता है, लेकिन वह न्यूनतम 14 वर्ष कारावास की सज़ा काट चुका हो।

■ दया याचिका दायर करने की प्रक्रिया:

- दया याचिकाओं से नपिटने के लिये कोई वैधानिक लिखित प्रक्रिया नहीं है, लेकिन व्यवहार में न्यायालय में सभी राहतों को समाप्त करने के बाद दोषी व्यक्ति या उसकी ओर से उसका संबंधी राष्ट्रपति को लिखित याचिका प्रस्तुत कर सकता है।
- राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा याचिकाएँ प्राप्त की जाती हैं, जिन्हें बाद में गृह मंत्रालय को उनकी टपिपणियों और सफ़ारिशों के लिये भेज दिया जाता है।

■ दया याचिका दायर करने का आधार:

- दया या क्षमादान दोषी सदिध व्यक्ति के **स्वास्थ्य, शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य**, उसकी पारिवारिक वित्तीय स्थितियों (क्या वह रोजी रोटी का एकमात्र अर्जक है या नहीं) के आधार पर दी जाती है।
 - **शत्रुघ्न चौहान [2014] भारत संघ (2014)** जैसे मामलों में उच्चतम न्यायालय ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 72 अथवा अनुच्छेद 161 के तहत दया मांगने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है और यह कार्यपालिका के वविक या इच्छा पर निर्भर नहीं है।

■ न्यायिक समीक्षा:

- सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों जैसे **कमिटराम बनाम भारत संघ, एगूर सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और केहर सहि बनाम भारत संघ** में कहा है कि क्षमादान शक्ति के प्रयोग की न्यायिक समीक्षा संभव है, लेकिन सीमिति आधार पर।
- न्यायालय ने क्षमादान शक्ति की **न्यायिक समीक्षा** के लिये निम्नलिखित प्रावधान बताए हैं:
 - शक्तियों का प्रयोग बनिा सोचे-समझे किया गया हो,
 - दुर्भावनापूर्ण आशय से किया गया हो, या
 - प्रासंगिक सामग्री को वचिर से पृथक रखा गया हो।

दया याचिका से संबंधति कुछ महत्त्वपूर्ण नरिणय क्या हैं?

- **बचन सहि बनाम पंजाब राज्य**: वर्ष 1980 में, उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड की संवैधानिकता को बरकरार रखा, लेकिन महत्त्वपूर्ण सुरक्षा उपाय भी स्थापति किये। न्यायालय ने कहा, "न्यायाधीशों को कभी भी खूनी (Bloodthirsty) नहीं होना चाहिये" और मृत्युदंड "दुर्लभतम मामलों को छोड़कर" नहीं दिया जाना चाहिये, जब वैकल्पिक उपाय नरिवविाद रूप से बंद हो गया हो, और सभी संभावति कम करने वाली परस्थितियों पर वचिर किये गया हो।
 - तब से लेकर अब तक न्यायालय ने कई फैसलों में "मृत्युदंड की सज़ा मात्र अन्यान्यतम (The Rarest of The Rare)" मानक की पुष्टि की है।
- **मारू राम बनाम भारत संघ (1981)**: सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा देने की शक्ति का प्रयोग मंत्रपरिषद की सलाह पर किया जाना चाहिये।
- **केहर सहि बनाम भारत संघ (1989)**: सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के दायरे की वसितार पूर्वक जाँच की थी।
 - केहर सहि मामले में, न्यायालय ने कहा कि दोषी को दया याचिका पर मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है।
- **शत्रुघ्न चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2014)**: इस फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दया याचिकाओं पर नरिणय लेने में अत्यधिक वलिंब के कारण न्यायालय मौत की सज़ा को कम कर सकते हैं।
- **वधिआयोग की रपिरट**: वर्ष 2015 में प्रकाशति 262वें वधिआयोग की रपिरट में "आतंकवाद से संबंधति अपराधों और युद्ध छेड़ने के अलावा अन्य सभी अपराधों के लिये" मौत की सज़ा को "पूर्ण रूप से समाप्त" करने की सफ़ारिश की गई थी।

क्षमादान शक्ति के वभिनिन प्रकार क्या हैं?

क्षमादान शक्ति के प्रकार	वविरण	उदाहरण
क्षमा	यह कानून अपराधी को अपराध से पूरी तरह मुक्त कर देता है, तथा उसकी दोषसदिधि और उससे संबंधति सभी दण्डों को समाप्त कर देता है।	राष्ट्रपति देशद्रोह के अनुचति आरोप में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमा प्रदान करता है।
प्रतलिंबन	कठोर दण्ड के स्थान पर सामान्य दण्ड दिया जाता है।	राष्ट्रपति मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करता है।
वरिम/परहिर	सज़ा की प्रकृति में परिवर्तन किये बगैर उसकी अवधि कम कर दी जाती है।	राज्यपाल दो वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा में से एक वर्ष की छूट प्रदान करता है।
दंडादेश का नलिंबन	किसी सज़ा के नषिपादन को अस्थायी रूप से स्थगति कर देता है, सामान्यतः थोड़े समय के लिये।	राष्ट्रपति किसी सज़ायाफ़ता कैदी को दया याचिका दायर करने के लिये समय देने हेतु छूट प्रदान करते हैं।
लघुकरण	यह वह राहत है, जो अधिक लम्बी अवधि के लिये होती है और प्रायः चकितिसीय कारणों से होती है।	राज्यपाल एक असाध्य रूप से बीमार कैदी को राहत प्रदान करता है ताकि वह अपने अंतमि दनि घर पर बतिा सके।

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

?????

प्रश्न. राज्यपाल द्वारा वधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का वविचन कीजयि । वधायिका के समक्ष रखे बनिा राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन की वैधता की वविचना कीजयि । (2022)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/mercy-petition-2>

